

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर/3246/2006/डूंगरपुर राजस्थान सरकार बनाम अमरा</p>	<p>नम्बर व तारीख जो अहकाम इस हुक्म की तामिल में जारी हुए</p>
	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य</p> <p>उपस्थित : श्रीमती अर्चना गौतम, उप राजकीय अधिवक्ता। अप्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।</p> <p style="text-align: center;">— आदेश</p> <p style="text-align: right;">दिनांक:— 02.04.2026</p> <p>यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 01.03.2006 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है।</p> <p>रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी तहसीलदार, डूंगरपुर ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध अप्रार्थी के इस आशय का पेश किया कि मोजा/ग्राम संचिया में वर्तमान भू-प्रबंध में आराजी खसरा संख्या 1148 में रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि किस्म नाला दर्ज थी। उक्त भूमि आवंटन/निमयन/खातेदारी हेतु उपलब्ध नहीं होकर राज0काश्त0अधि0 1956 की धारा 16 के अंतर्गत वर्जित/प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में थी। लेकिन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त आराजी खसरा संख्या 1148 में से 10 बिस्वा भूमि का नियमन अप्रार्थी श्री अमरा पिता वेचात जाति मीणा, निवासी संचिया को दिनांक 25.10.77 को किया गया है, जो जरिए नामांतरण संख्या 278 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है। उक्त भूमि का नियमन राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 एवं राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रारंभ से ही शून्य होने से उक्त भूमि का नियमन एवं उसके आधार पर स्वीकृत किया गया नामांतरण को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं तथा यह भूमि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 के अंतर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नहीं है। जिस पर न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा प्रकरण को भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये रेफरेन्स स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को पूर्ववत् किस्म पाल/नदी/नाला/तालाब के साथ रेफरेन्स मण्डल को अभिशंषित किया गया है।</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर/3246/2006/डूंगरपुर राजस्थान सरकार बनाम अमरा</p>	<p>नम्बर व तारीख जो अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए</p>
	<p>विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि ग्राम संचिया में वर्तमान भू-प्रबंध में आराजी खसरा संख्या 1148 में रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि किस्म नाला दर्ज थी। उक्त भूमि आवंटन/नियमन/खातेदारी हेतु उपलब्ध नहीं होकर राज0काश्त0अधि0 1956 की धारा 16 के अंतर्गत वर्जित/प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में थी। लेकिन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त आराजी खसरा संख्या 1148 में से 10 बिस्वा भूमि का नियमन अप्रार्थी श्री अमरा पिता वेचात जाति मीणा, निवासी संचिया को दिनांक 25.10.77 को किया गया है, जो जरिए नामांतरण संख्या 278 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है तथा वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हैं जो कि अवैध है। चूंकि उक्त भूमि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं तथा यह भूमि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 के अंतर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नहीं है। अतः उक्त भूमि बाबत् अप्रार्थी के हक में दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ है, को निरस्त किया जावे तथा भूमि को पुनः गैर मुमकिन नाला के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।</p> <p>हमने उप राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और जिला कलक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।</p> <p>चूंकि राजस्व अभिलेख से उक्त आराजी का सन् 1947 से पूर्व विवादित आराजी का गै.मु. नदी/नाले राजकीय सिवायचक के रूप में दर्ज होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार पाल, नदी, नाले, तालाबी किस्म की भूमि में राजस्व विधियों के अन्तर्गत किसी को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं।</p> <p>नदी, नला, तालाब, अंगोर, गोचर, पाल/पायतन, तलाई आदि किस्म की ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15-8-1947 की स्थिति को रिकार्ड अनुसार बहाल किया</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज <u>रेफरेन्स/एल.आर/3246/2006/डूंगरपुर</u> राजस्थान सरकार बनाम अमरा</p>	<p>नम्बर व तारीख जो अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए</p>
	<p>जाना आवश्यक है।</p> <p>राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) निम्न प्रकार है:-</p> <p>“4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-</p> <p>(i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955;”</p> <p>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार है:-</p> <p>16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-</p> <p>Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-</p> <p>(ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;</p> <p>उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि जोहड़ मय पायतन, नदी/नाला(नला)/तालाब की भूमि अथवा नदी पेटा की भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार गैर मुमकिन श्रेणी जोहड़ मय पायतन, नाला, नदी, नाड़ी, तालाब आदि की भूमि ना तो आवंटन योग्य है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है। अतः अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज विवादित आराजी विधिविरुद्ध है। पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार विवादित भूमि की किस्म गै.मु.नाला खाता सरकार दर्ज है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी इन्द्राज प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य एवं निरस्तनीय है।</p> <p>परिणामतः न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 01.03.2006 के क्रम में मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम संचिया में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1148 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा किस्म नाला में से रकबा 10 बिस्वा का अप्रार्थी को किया गया आवंटन/ पर अप्रार्थी को दी गई खातेदारी एवं तत्पश्चात् स्वीकृत समस्त नामांतरणों को निरस्त किया</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर/3246/2006/डूंगरपुर राजस्थान सरकार बनाम अमरा	नम्बर व तारीख जो अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>जाता है तथा विवादित आराजी को पूर्वानुसार सिवायचक दर्ज कर उसकी किस्म गै0मु0 नाला के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो ।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।</p> <p style="text-align: center;">(भवानी सिंह पालावत) सदस्य</p>	